राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/ e-mail: cce raj@yahoo.com Phone: 0141-2706847 (O);

पत्रांकः CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 910

Date: 17th January 2019

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान की पुस्तक निःशुल्क वितरित करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के सभी 252 राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान अभिवृद्धि एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सामान्य ज्ञान आधारित एक पुस्तक दिनांक 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क वितरित किये जाने के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 230 दिनांक 05 जनवरी 2019 के माध्यम से आपको अनुरोध किया गया था। मुझे विश्वास है कि आपने इस संबध में यथा अपेक्षित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी होगी। इसी के संबध में आपको पुनः पत्र भेजकर निर्देशित किया जाता है कि –

1. दिनांक 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) के अवसर पर आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान आधारित एक पुस्तक का निःशुल्क वितरण करवाया जाना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश गणतंत्र दिवस पर महाविद्यालय में उपस्थित नही हो सके, उसको सामान्य ज्ञान की इस पुस्तक का वितरण दिनांक 26 जनवरी के उपरान्त परीक्षा अथवा अन्य किसी अवसर पर सुनिश्चित करना महाविद्यालय का दायित्व है।
2. आप सामान्य ज्ञान की इस निःशुल्क पुस्तक के चयन हेतु महाविद्यालय स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, जो पुस्तक की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के लिये उसकी उपादेयता सुनिश्चित करे।
3. महाविद्यालय द्वारा गठित आन्तरिक समिति द्वारा अनुशंसित पुस्तक का मूल्य 15– 20 रुपये की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये।
4. आन्तरिक समिति द्वारा अनुशंसित पुस्तक को महाविद्यालय में पंजीकृत कुल विद्यार्थी संख्या के अनुरुप एक साथ क्रय करने अथवा दो – तीन चरणों में क्रय करवाने की व्यवस्था का निर्णय महाविद्यसलय की सुविधानुरुप प्राचार्य एवं गठित समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर ही किया जाना है।
5. आन्तरिक समिति द्वारा अनुशंसित पुस्तक को महाविद्यालय में पंजीकृत कुल विद्यार्थी संख्यानुरुप स्थानीय दान दाता के सहयोग से क्रय करवाने को प्राथमिकता प्रदान करें। विकल्पतः अनुशंसित पुस्तक को, जिसका कि मूल्य 15 –20 रुपये से अधिक ना हो, को महाविद्यालय विकास समिति अथवा छात्र निधि कोष से क्रय करवाने की अनुमति प्रदान की जाती है। परन्तु पुस्तक क्रय के लिये नियमानुसार प्रकिया की पालना सुनिश्चित करें।
6. विद्यार्थियों के लिये सामान्य ज्ञान की निःशुल्क वितरित की जाने वाली पुस्तक एवं इस योजना के बारे में विद्यार्थियों एवं आमजन की सूचनार्थ स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करवाकर एवं महाविद्यालय परिसर में नोटिस बोर्ड पर सूचना लगवाकर प्रचारित करावें।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
विशिष्ठ शासन सचिव, उच्च शिक्षा, एवं
आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांकः CCE/P&C/ISDC//2019/...910... Date: 17th January 2019
सूचनार्थ प्रतिलिपी:
1. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, HRD/Acad./Admn/RUSA/P&C, आकाशि, जयपुर।
3. क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जयपुर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर इस कार्य का अपने संबंधित क्षेत्रों में समन्वय करें।
4. वैब प्रभारी को अपलोड करने हेतु/रक्षित पत्रावली।

आयुक्त, कालेज शिक्षा